न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

[illegible] 88/2014
[illegible]सीएमएस : 2012/163

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–:प्रार्थी

बनाम

1.अविनाश हाण्डा पत्नि योगेन्द्रनाथ हाण्डा गोपाल कृष्णा हाण्डा बेला शर्मा माला आचार्य , अनुराधा कटारिया पि. योगेन्द्रनाथ हाण्डा रायसिंहनगर ।
2.प्रमोद कुमार वल्द कस्तूरी लाल कोम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर ।
3.निर्मल कौर पत्नि मोहन सिंह कोम सोनी साकिन रायसिंहनगर।
4.शिव कुमार पुत्र मोहर चन्द्र कोम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. राज पेरोकार जरिये नायब तहसीलदार समेजा कोठी
2. एक पक्षीय अप्रार्थीगण

–: <u>निर्णय</u> :– दिनांक :– 29.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधि. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 22 पी एस तहसील रायसिहंनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के मु.न. 36 प.न. 203/289 के कि.न. 11–12/0.506 है. 13/2 में 0.189 , 16 से 20 में 1.265 है. , 21 से 25 में 1.140 है. कुल 3.120 है. नहरी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला में अविनाश हाण्डा पत्नि योगेन्द्रनाथ हाण्ड,ा गोपाल कृष्ण हाण्डा बेला शर्मा माला आचार्य , अनुराधा कटारिया पि. योगेन्द्रनाथ हाण्डा बहिबा, 3074/ 65/169 है. सा. देह, शिव कुमार पुत्र मोहर चन्द्र 0.13 है. , कोम अग्रवाल सा. रायसिंहनगर ,.प्रमोद कुमार वल्द कस्तूरी लाल 0.012 है.कोम अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर ,निर्मल कौर पत्नि मोहन सिंह 35/169 है.कोम सोनी साकिन रायसिंहनगर खातेदार दर्ज है। जिसका वाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है। रिपोर्ट पटवारी हल्का 22 पी सी के अनुसार इस रकबा में अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभा की अनुमति के बिना कॉलोनी काट कर अवैध रूप से प्लाटों का विक्रय किया है ओर किया जा रहा है । जिसमें से अधिकाश प्लाटो का विक्रय किया जा चुका है। खातेदारों द्वारा उक्त भूमि की पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है। जबकि यह रकबा कॉलोनी हेतु प्लाट काट कर विक्रय किया जा चुका है। जिसमें वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर बिना वैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रू॰ से कालॉनी काट कर अतिचार किया जा रहा है । यदि उन्हें रोका नही गया तो राज्य पक्ष अपूर्णय क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलानिया का निमार्ण हो जाऐगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि [illegible] आवासी प्लाट काटकर विक्रय जाकर अतिचार किया जा रहा है।इस [illegible]गण के द्वारा कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये [illegible] राज. काश्त. अधि. 1955 की धारा 177 की दण्[illegible] के कारण [illegible] भूमि पर धारा 212(2) के तहत रिसीवर नियुक्त किये जाने [illegible]

स्टेट के द्वारा उक्त वाद–पत्र के [illegible] प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मथरा दास

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

किनरा अधिवक्ता हाजिर आये। काफी समय दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण के द्वारा जबाव प्रार्थना–पत्र पेश न करने पर दिनांक 12.09.2019 को जबाव प्रा.पत्र बन्द कर दिया गया। प्रकरण में पुनः रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि बिना अनुमति के अप्रार्थीगण के द्वारा रूपान्तरण करवाये बिना ही प्लाट काट रहे है। उक्त तथ्यो की पुष्टि की है। अप्रार्थीगण ने अपने पक्ष में कोई साक्ष्य /जबाव प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

राज पेरोकार जरिये नायब तहसीलदार समेजा की एक पक्षीय बहस सुनी गई। राज पेरोकार ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने बिना रूपान्तरण व बिना रूपान्तरण राशि जमा करवाये कृषि भूमि पर प्लाट अवैध रूप से काट रहे है। जिसे रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष अपूर्णीय क्षति होगी। अतः विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाव प्रार्थना–पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

बहस पक्षकार पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण पर बिना रूपान्तरण एवं बिना रूपान्तरण राशि जमा करवाये कृषि भूमि पर आवासीय प्लाट काटे जा रहे है। जो राज.काश्त. अधि. 1955 की धारा 177 का उल्लंधन किया जा रहा है। ऐसे में प्रार्थी राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से किया जाता है।

–:आदेशः–

उक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विवादित भूमि चक 22 पी एस तहसील रायसिहंनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के मु.न. 36 प.न. 203/289 के कि.न. 11–12/0.506 है. 13/2 में 0.189 , 16 से 20 में 1.265 है. , 21 से 25 में 1.140 है. कुल 3.120 है.नहरी भूमि में किसी प्रकार आवासीय प्लाट न काटे तथां रहन बैय नहीं करे तथा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:42 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner